"समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु"

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः-843 दिनांक :- 1/10/26

ई –निविदा सूचना

U. B. No. DLB2627SLOB20874

नगर निगम जोधपुर गैरेज के विभिन्न कार्य हेतु निविदा की शर्तो के अनुसार निविदा करने हेतु अनुभवी एवं योग्य बोलीदाताओ से निविदा e-tendering प्रकिया से आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तो www.eproc.rajasthan.gov.in,, www.sppp.rajasthan.gov.in , www.lsg.rajasthan.gov.in/nnjodhpur से प्राप्त की जा सकती है।

अधिषाषी अभियंता (गैरेज)
नगर निगम जोधपुर

क्रमांकः-843-855 दिनांकः- 01/10/26

प्रतिलिपिः–

1 निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जोधपुर ।
2 मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर ।
3 अधिषाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर ।
4 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर ।
5 प्रभारी ओसवाल डाटा प्रोसेसर, नगर निगम जोधपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
6. प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.lsg.rajasthan.gov.in/nnjodhpur पर अपलोड करें।
7 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं राज्य स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
8 सहायक अभियंता (गैरेज) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
9 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर ।
10 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर ।

अधिषाषी अभियंता (गैरेज)
नगर निगम जोधपुर

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

RajKaj Ref No.: 24809227

Scanned with OKEN Scanner

"वेबसाईज पर प्रकाशन हेतु"

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(cco_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः- 843

DLB2627SLOB20874

दिनांकः- 01/10/26

ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर, की ओर से निविदा शर्तो के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	01-10-2026	05:00 PM
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	02-10-2026	05:00 Pm
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	05-10-2026	09:00 Am
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के ऑनलाईन भुगतान की स्केन प्रति गैरेज प्रभारी रूम न : 324 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	05-10-2026	10:00 Am
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	05-10-2026	11:00 Am

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रं. सं.	Item no.	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि 2% (धरोहर राषि) (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	बोली प्रकिया शुल्क (रूपये में)	सेवा की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर के समस्त जोनो में फौगिंग कार्य एवं विभिन्न सरकारी योजनाओ के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यकता अनुसार संख्या में 3–व्हीलर एवं 4–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने का कार्य	21.00 लाख	42000/–	1000/–	500/–	4 माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के ऑनलाईन भुगतान की स्केन मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	शुल्क विवरण	भुगतान का प्रकार	खाता संख्या/बजट मद जिसमें भुगतान किया जाना है
1.	निविदा शुल्क	RTGS/NEFT/online	Commissioner Nagar Nigam Jodhpur Bank Name - Canara Bank A/c No. - 84022010005559 IFSC Code - CNRB0018402
2.	बोली प्रतिभूति राषि (धरोहर राशि)	RTGS/NEFT/online	Commissioner Nagar Nigam Jodhpur Bank Name - Canara Bank A/c No. - 110000704135 IFSC Code - CNRB0018402
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	https://egras.raj.nic.in/	Budget head 8658-00-102-16-02

5. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

अधिषाषी अभियंता (गैरेज)
नगर निगम जोधपुर

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम जोधपुर,

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(www.nnj.raj.nic.in Tel: 0291-2651483)

क्रमांकः–

दिनांकः–

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर के समस्त जोनो में फोगिंग कार्य एवं विभिन्न सरकारी योजनाओ के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यकता अनुसार संख्या में 3–व्हीलर एवं 4–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई–निविदा।

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. **निविदा प्रस्तुत करना :–**
   1. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय प्रस्ताव में उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य नहीं पाये जाने पर उस निविदादाता के द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
   2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
जोधपुर नगर निगम
पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, गौरव पथ, जोधपुर।
दुरभाष नं.– 02912651483

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

2 **संवेदक की पात्रता एवं निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेगें:–**
1. निविदा शुल्क, धरोहर राशि/बिड सिक्युरिटी घोषणा पत्र एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी/ऑनलाईन पेमेन्ट की स्केन प्रति।
2. निविदादाता फर्म के मालिक/फर्म का PAN CARD तथा निविदादाता फर्म का GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
3. निविदादाता फर्म के पास गत तीन वित्तिय वर्षो (2023–24, 2024–25, 2025–26) में कम से कम निविदा राशि के 50% राषि का टर्न ऑवर होना अनिवार्य है जिसके परिणामस्वरूप निविदादाता को सी.ए. द्वारा जारी तीन वर्ष का टर्न ऑवर सर्टिफिकेट व पिछले 3 वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटेड बेलेंस शीट निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. फर्म को पिछले किसी एक वित्तिय वर्ष में न्यूनतम निविदा राशि के 50 प्रतिशतक तक की राशि का निविदा में अंकित कार्य का किसी राजकीय विभाग/स्वायतषासी संस्था/नगर निगम आदि में कार्य का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. फर्म को किसी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी कार्यालय/निगम/बोर्ड से काली सूची में नहीं डाला गया हो। इस आशय का रूपये 100/– के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
7. संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
8. Joint Venture स्वीकार नहीं होगा।
9. निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।
10. संबंधित संवेदक को उक्त कार्य का 01 वर्ष का अनुभव पिछले तीन वर्ष की अवधि (वर्ष 2022 से 2024) में होना आवश्यक है तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न करनी होगी।

नोट :– **उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक निर्धारित मापदण्डों हेतू आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में अनिर्वाय रूप से अपलोड करने होगें। इनके अभाव में निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर** दिया जायेगा।

3. <u>सामान्य शर्ते</u> :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/ऑनलाईन पेमेन्ट की स्केल प्रति जोधपुर नगर निगम में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं है।
4. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
5. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण के सम्बन्ध में जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. निविदा की अवधि 1 वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से उसी दरों पर कार्य करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता एक वर्ष ओर कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉं होने पर नगर निगम किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही निविदा में शेष बचे समय के लिए संवेदक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
9. नगर निगम एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में सहायक दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्व रूपान्तरण हिन्दी/अग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होगें।
10. नियमित कार्यो के समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

11 नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताऐं 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी :-

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।

(ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur " के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गांरटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ङ) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

12. सफल निविदादाता को 7 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।

13- यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14. सफल निविदादाता के द्वारा निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा।

15. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होगें ।

16. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):–** प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अशंतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।

(घ) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(ङ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी

(क) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।

(ख) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।

(ग) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(ङ) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है।

18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–

(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।

(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।

(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

19. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम उतरदायी नहीं होगा। निविदा

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेज /शुद्विपत्र/संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।

20. निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाता अपनी जमा करवाई गई धरोहर राशि बिना ब्याज नगर निगम जोधपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
23. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने का, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा के समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
24. यदि सफल निविदादाता स्टैण्डर्ड/निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो स्वीकृत दरों पर L-2 को कार्यादेश जारी किया जायेगा।
25. सफल निविदादाता द्वारा निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

4. कार्यविधि, वाहन एवं वाहन चालक से सम्बंधित विवरण :–

1. जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में फोगिंग कार्य प्रातः 6 बजे से सांय 8 बजे के कुल समय में 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। सामान्यतया फोगिंग कार्य प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक व सांय 4 बजे से 8 बजे तक किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु टैक्सी मय चालक जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक को उपलब्ध करवाने होंगे। आपातकालीन स्थिति में/आवश्यक होने किसी भी समय पर मांग अनुसार संख्या एवं रात्रीकालीन में वाहन मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने होगें। इस स्थिति में उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लोगबुकें मय सील प्रमाणित करवानी होगी।
2. फोगिंग कार्य का निर्धारण नगर निगम जोधपुर के अधिकृत अधिकारी करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।
3. वाहनों के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैध लाईसेन्सधारी चालक होना आवश्यक है। चालक का उपयुक्त बीमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगा।
4. संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता की जिम्मेदारी होगी व ऐसी स्थिति में गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त लेबर/चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।
5. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. नगर निगम की ओर से देय नहीं होगा।
6. सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, चालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा ।
7. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाइसेन्स व वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतियां गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
8. वाहनों में होने वाली समस्त टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की
स्वयं की होगी।
10. वाहन पर कार्य के दौरान नगर निगम जोधपुर से अनुबंधित की पट्टी/प्लेट लगानी होगी। प्रतिदिन का कार्य पूर्ण होते ही प्लेट हटानी होगी। प्लेट का दुरूपयोग होने पर 1000/– प्रतिवाहन प्रति घटना शास्ती काटी जायेगी।
11. उक्त समस्त वाहन तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

RajKaj Ref No.: 24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

12. वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, टायर ट्यूब, बैटरियाँ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं वाहनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगे।
13. यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
14. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनीकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनीकी रूप से आधारभूत शर्तो अनुसार ही माना जायेगा।

5. कार्य प्रमाणन एवं भुगतान

1. निविदादाता प्रतिदिन लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी तथा सफाई निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराये जाने के लिये दायी होगा। किये गये कार्य के बिल का भुगतान जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा लोग बुक में हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त किया जायेगा। प्रमाणित लॉग बुकें व बिल गैराज प्रभारी को आगामी 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
2. कार्य के दौरान वाहन खराब होने पर पूरे समय का भुगतान देय नहीं होगा बल्कि वाहन के द्वारा कार्य किये गये घण्टों का दिन के किराये के हिसाब से आनुपातिक भुगतान देय होगा।

6. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम दायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम दायी नहीं होगा।
3. दुघर्टना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट फूट होने पर संवेदक दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

7. निगम शक्तियॉ एवं शास्तियां :-

1. आदेशित से कम संख्या में वाहन उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिवाहन किराये की राशि व 2000/- रू. शास्ती के रुप में काटी जायेगी तथा संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम उतरदायी नही होगा।
2. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
3. उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा निर्देशित समय पर वाहनों के नहीं पहुॅचने अथवा समय पूर्व वाहनों के चले जाने पर रूपये 500/- प्रतिघण्टे प्रतिवाहन की पेनल्टी लगााई जायेगी। साथ ही यह घटना एक वाहन पर एक बार से अधिक बार होने पर 500 रूपये पेनल्टी लगाई जायेगी तथा इस वाहन को हटाते हुए संवेदक दुसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।
4. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करने हेतु नगर निगम स्वतंत्र है।
5. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्ते यथा परिवर्तन लागू होगी।

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

6. आवश्यकता होने पर वाहनों की संख्या बढाई जा सकेगी। वाहनों की संख्या में/कार्य क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
7. किसी भी विवाद में प्रशासक/आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. **निविदा प्रपत्र में संशोधन :–**

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा ।
2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

अधिशाषी अभियंता (गैरेज)
नगर निगम जोधपुर

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 'ब'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर

वितीय प्रस्ताव

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर के समस्त जोनो में फोगिंग कार्य एवं विभिन्न सरकारी योजनाओ के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यकता अनुसार संख्या में 3–व्हीलर एवं 4–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई–निविदा।

क.स.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में) सभी करों सहित
1	फोगिंग कार्य व नगर निगम के अन्य कार्यो हेतु 3–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने का कार्य।	राशि .... प्रति टैक्सी, प्रतिदिन 8 घण्टे।
2	विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु पब्लिक अनाउसमेन्ट सिस्टम (माईक, स्पीकर, टेप, यू.एस.बी. कार्ड सहित) के साथ 3–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने का कार्य।	राशि .... प्रति टैक्सी, प्रतिदिन 8 घण्टे।
3	विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु पब्लिक अनाउसमेन्ट सिस्टम (माईक, स्पीकर, टेप, यू.एस.बी. कार्ड सहित) के साथ 4–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने का कार्य।	राशि .... प्रति टैक्सी, प्रतिदिन 8 घण्टे।
	कुल (1+2+3)	

1. उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।
2. न्यूनतमदरदाता का निर्धारण उपरोक्त सारणी में कुल योग (1 से 3) में प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 'अ'

:: अण्डर–टेकिंग ::

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 60 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात निविदा के निर्देश की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम जोधपुर के आदेश/निर्देश की पालना नहीं की तो नगर निगम जोधपुर द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशिजब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कही पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर मय सील

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

Jodhpur Municipal Corporation

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

Annexure D : Additional Conditions of Contract

अतः प्रशासनिक विभाग अपने अधीन समस्त विभागो, कार्यालयों एवं संगठनों से उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः Annexure A to D

शासन सचिव, वित्त (बजट)

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

RajKaj Ref No.: 24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

R.K

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. *Particulars of appellant:*

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

R.K.C. [signature]

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

RajKaj Ref No.: 24809227

Scanned with OKEN Scanner

2. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....
....
....
.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST
v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent. of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

RajKaj Ref No.: 24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

परिपत्र क्रमांक: एफ.1(8)वित्त/सावितेनि/2011पार्ट ।।   दिनांक :1.3.2013

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसनें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 4.2.2013 को परिपत्र जारी कर अन्य दिशा–निर्देश के साथ अधिनियम के अध्याय–III तथा नियमों के अध्याय VII के तहत अपील अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 15.2.2013 तक सूचना प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

खेद का विषय है कि आज दिनांक तक भी ज्यादातर विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः पुनः अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 मार्च, 2013 तक सूचित करें। यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है।

द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

Scanned with OKEN Scanner

Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 **Dated: 24.1.2013**

G.S.R.217 : In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which all the provisions of said Act shall come into force.

Secretary to the Government, Finance (Budget)
(Published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga)(I) dated 24.1.2013)

अधिसूचना संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.1.2013

जी.एस.आर.97 : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 1 के उप–नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 26 जनवरी, 2013 को, इसके द्वारा उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त नियम प्रवृत्त होंगे।

शासन सचिव, वित्त (बजट)
(राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(I) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित)

Notification No.F.1(8)FD/GF&AR/2011 **Dated: 24.1.2013**

G.S.R.97 : In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which said rules shall come into force.

Secretary to the Government, Finance (Budget)
(Published in Rajasthan Gazetted EO Part 4(Ga)(I) dated 24.1.2013)

परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांकः 4.2.2013

जैसा कि आपको विदित है राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (**Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (**Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013**) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं। समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय, सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Works) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

RajKaj Ref No.: 24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer
Date: 2026-10-01 11:13:17 IST

Scanned with OKEN Scanner

उक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (State Procurement Facilitation Cell) का गठन किया जा चुका है। उक्त प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग को बनाया गया है यदि उपापन संस्था उक्त अधिनियम एवं नियमों के संदर्भ में कोई जानकारी की अपेक्षा रखती है तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रकरण राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 में दिये गये प्रावधान के तहत राज्य लोक उपापन पोर्टल *(http://sppp.raj.nic.in)* बना दिया गया है। उपापन संस्था अधिनियम की धारा 17 (2) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त अधिनियम के अध्याय 3 एवं नियमों के अध्याय 7 के अनुसार बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला (bidder or prospective bidder) उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के किसी निर्णय, कार्रवाई या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उपबन्धो के उल्लंघन में है तो वह अपील दाखिल कर सकेगा। इस संबंध में बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता दस्तावेजों, रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में प्रथम अपील अधिकारी का पदाभिहित (designated) विनिर्दिष्ट (specified) उल्लेख उपापन संस्था द्वारा किया जाना आवश्यक है। *अतः, अधिनियम की धारा 3 (2) में उल्लिखित समस्त विभाग/संगठन अपने स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी का निर्धारण कर वित्त विभाग को दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक सूचित करें।* यहां यह उल्लिखित करना उपयुक्त होगा कि प्रथम अपील अधिकारी उपापन संस्था से एक स्तर उच्च होना आवश्यक है। द्वितीय अपील अधिकारी राज्य सरकार के विभागों के लिये संबंधित प्रशासनिक विभाग होगा। यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं उपापन संस्था या प्रथम अपील अधिकारी है तो वित्त विभाग प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में जहां वित्त विभाग प्रथम अपील अधिकारी है तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रकरण विशेष के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित (designated) किया जायेगा।

उक्त अधिनियम के अनुसार सामग्री, सेवा, संकर्म के उपापन के लिये स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स प्रक्रियाधीन है। अधिनियम की धारा 59 (Savings) के अनुसार इस अधिनियम में उपबन्धित सामग्री, सेवा एवं संकर्मो के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनायें, विभागीय संहिताएँ, निर्देशिकायें, उपविधियां, शासकीय ज्ञापन या परिपत्र जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त थे, उनके इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवर्त बने रहेगें जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तो, अधिसूचना या यथास्थिति आदेश द्वारा निरसित या अतिक्रमित नहीं कर दिया जाता। अतः, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार सामग्री या सेवा के उपापन के लिये वर्तमान प्रचलित बिड दस्तावेज सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II में दिये गये SR फार्म 14, 15, 16 और 17 तथा संकर्म के उपापन के लिये सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के अपेण्डिक्स XI में दिये गये वर्तमान प्रचलित दस्तावेज बोली दस्तावेजों के रूप में अधिनियम व नियमों के प्रावधानों की सीमा तक प्रयोग किये जा सकेगें, जब तक कि नवीन स्टेण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेन्ट्स जारी नहीं किये जाते है। तथापि निम्नांकित संलग्नक (Annexures) वर्तमान प्रचलित बोली दस्तावेजों के साथ सम्मिलित करते हुये ही बिड दस्तावेज जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये—

RajKaj Ref No.:
24809227

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Date: 2026.10.01 14:33:32 IST
Location: Rajasthan-RJ

Digitally signed by MANOJ KUMAR BAIRWA
Designation: Executive Engineer

Scanned with OKEN Scanner